न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —49/2022(2022/86)

अनवान : —

पवन कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. प्रताप पुत्र गणपत जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. सीताराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल **वादी**
श्री सतवीर बैनीवाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 01/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जे एस एल के खाता सं. 146/133 के मु.न. 24 के किला न. 20/2,21, मु.न. 25 के किला नं. 16/1, 16/3, 24/2, 25/2, मु.न. 27 के किला नं. 4/1, 5, 6/1, 7/1, 8/1, कुल किता 11 की 1.494 हैक्टेयर, बारानी 1.468 हैक्टर, रास्ता 0.26 हैक्टर एव चक नं. 1 जेएसएल के खात सं. 57/50 के मु.न. 59 के किला न. 21 मु. नं. 65 के किला नं. 1/1, 1/2, मु.नं. 66 के किला नं. 3, 4, 5 कुल किता 6 की 1.265 हैक्टर, नहरी 1.240हैक्टर, खाला 0.025 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा गणपत की खातेदारी हुआ करती थी। गणपत से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी प्रताप ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 02 व 03 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी प्रताप के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप को वादी के दादा गणपत से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी पवन कुमार पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 5 जेएसएल खाता सं. 146/131 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 1 जेएसएल खाता सं. 57/50 संवत 2075–78 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 5 जेएसएल सम्वत 2045 के खाता संख्या 28/31 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 1 जेएसएल सम्वत 2046 के खाता संख्या 16/18 प्रदर्श 4, सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 5 जे एस एल के खाता सं. चक 5 जे एस एल के खाता सं. 368/146(146/133) के मु.न. 24 के किला न. 20/2,21, मु.न. 25 के किला नं. 16/1, 16/3, 24/2, 25/2, मु.न. 27 के किला नं. 4/1, 5, 6/1, 7/4, 8/3, कुल किता 11 की 1.494 हैक्टेयर, बारानी 1.468 हैक्टर, रास्ता 0.26 हैक्टर एव चक न. 1 जेएसएल के खाता सं. 159/57(57/50) के मु.न. 59, कु. किला न. 21 मु. नं. 65 के किला नं. 1/1, 1/2, मु.नं. 66 के किला नं. 3, 4, 5 कुल किता 6 हैक्टर, नहरी 1.240हैक्टर, खाला 0.025 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा जाने का निवेदन किया।

की 1.265
प्रताप के
साबित है
र है। जिसे
डिक्री किये

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), स्वयंपानगढ़ी भादरा (जिला-...)

प्र0 सं0 49/22 अनुवान पवन कुमार बनाम प्रताप आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जे एस एल के खाता सं. 368/146(146/133) के मु.न. 24 के किला न. 20/2, 21, मु.न. 25 के किला नं. 16/1, 16/3, 24/2, 25/2, मु.न.

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शंकुतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –49 / 2022(2022 / 86)

अनवान : –

पवन कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा

वादी

बनाम

1. प्रताप पुत्र गणपत जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा
3. सीताराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष व वादीगण श्री धर्मपाल़ बेरवाल व वकील प्रतिवादी श्री सतवीर पूनिया की उपस्थि निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है घोषणा की जाती है कि रोही चक 5 जे एस एल के खाता सं. 368 / 146(146 / के मु.न. 24 के किला न. 20 / 2, 21, मु.न. 25 के किला नं. 16 / 1, 16 / 3, 24 25 / 2, मु.न. 27 के किला नं. 4 / 1, 5, 6 / 1, 7 / 4, 8 / 3, कुल किता 11 व 494 हैक्टेयर, बारानी 1.468 हैक्टर, रास्ता 0.26 हैक्टर एव चक नं. 1 जेएसए खात सं. 159 / 57(57 / 50) के मु.न. 59 के किला न. 21 मु. नं. 65 के किल 1 / 1, 1 / 2, मु.नं. 66 के किला नं. 3, 4, 5 कुल किता 6 की 1.265 हैक्टर, 1.240हैक्टर, खाला 0.025 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रताप के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी पवन कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 प्र प्रतिवादी संख्या 2 रमेश कुमार व प्रतिवादी सं. 03 सीताराम को बहिस्सा बराब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि देय हो तो नियमानुसार पं विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैं रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिका दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल मुद्रा से जारी की गई।

(शंकुतला चौधरी)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R

उपखण्ड अधिकारी (रा

भादरा जिला हनुमान